RNI No. MAHBIL /2009/31730

# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग सात

वर्ष ४, अंक २७(३)] सोमवार, नोव्हेंबर १९, २०१८/कार्तिक २८, शके १९४० [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

**असाधारण क्रमांक ५५**

**प्राधिकृत प्रकाशन**

**अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).**

**महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय**

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १९ नवम्बर, २०१८ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

**L. A. BILL No. LXV OF 2018.**

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ANIMAL AND FISHERY SCIENCES UNIVERSITY ACT, 1998.

**विधानसभा का विधेयक क्रमांक ६५, सन् २०१८ ।**

**महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्यउद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।**

सन् १९९८ का महा. १७ ।

**क्योंकि,** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्यउद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

**१.** (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्यउद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१८ कहलाए ।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ।

सन् १९९८ का महा. १७ की प्रथम अनुसूची में संशोधन ।

**२.** महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्यउद्योग विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, १९९८ की संलग्न प्रथम अनुसूची के “(क) महाविद्यालय” शीर्षक के अधीन प्रविष्टि (१) के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात् :– सन् १९९८ का महा. १७।

“(१) मुंबई पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मुंबई ।” ।

## उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

बम्बई पशु-चिकित्सा महाविद्यालय (बी.व्ही.सी.) अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पशु-चिकित्सा और पशुपालन विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिये २ अगस्त, १८८६ को स्थापित किया गया था । पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, पशु-चिकित्सा और पशुपालन विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख अध्ययन और अनुसंधान संस्था के रूप में विख्यात है । चूंकि, यह महाविद्यालय ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था और उक्त महाविद्यालय ' बॉम्बे ' नाम से जाना जाता था, उसे बम्बई पशु-चिकित्सा महाविद्यालय नाम दिया गया था और आज भी उसे उस नाम से जाना जाता है ।

२. महाराष्ट्र पशुपालन और मत्स्यउद्योग विज्ञान अधिनियम, १९९८ (सन् १९९८ का महा. १७) की अधिनियमिति के पश्चात् उक्त महाविद्यालय उक्त अधिनियम के अधीन एक घटक महाविद्यालय है ।

३. " बम्बई पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मुंबई " का नाम " मुंबई पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मुंबई " के रूप में पुनर्नामित करने की निरन्तर मांग को ध्यान में रखते हुये, उक्त प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में संशोधन द्वारा " बम्बई पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मुंबई " का नाम, " मुंबई पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, मुंबई " के रूप में पुनर्नामांकित करना इष्टकर समझती है ।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना हैं।

मुंबई,
दिनांकित १४ नवम्बर, २०१८।

**महादेव जानकर,**
पशुपालन, दुग्धउद्योग विकास
और मत्स्यउद्योग मंत्री ।

**प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन ।**

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त है, अर्थात् :–

**खंड १ (२).—**इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ऐसे दिनांक को अधिनियम प्रवृत करने के लिए राज्य सरकार को, शक्ति प्रदान की गई है ।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये उपर्युक्त उल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है ।

मुंबई,
दिनांकित २०१८।

(यथार्थ अनुवाद),

**हर्षवर्धन जाधव,**
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

**विधान भवन :**
मुंबई,
दिनांकित १९ नवम्बर, २०१८ ।

**डॉ. अनंत कळसे,**
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा ।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.